कर्मचारी परिवार हितकारी समिति

बोकारो स्टील प्लांट

बोकारो स्टील सिटी

सूचना

संदर्भ सं० ः कार्मिक /सा० सु०/2021/ 906 **दिनांक : 14/12/2021**

बोकारो स्टील प्लांट के कर्मचारियों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01.04.2019** से **कर्मचारी परिवार हितकारी समिति** द्वारा प्रति कर्मचारी के मृत्यु के मामले में **रू 300000/-(तीन लाख रूपए मात्र)** की सहायता राशि का भुगतान किया जा रहा है। समिति में सदस्य बने रहने हेतु प्रतिमाह **रू 50/-(पचास रूपए मात्र)** सदस्यता अंशदान के रूप में संयंत्र के सभी कर्मचारियों के वेतन पर्ची के माध्यम से कटौती की जाती है। अतः कटौती से एकत्रित किए गए राशि को समिति के खाता में भेज दिया जाता है एवं उसी से प्रतिमाह मृत कर्मचारियों के परिवार को सहायता राशि प्रदान किया जाता है। संयंत्र में घट रहे कर्मचारियों की गणना के कारण समिति को प्रति माह प्राप्त होने वाली राशि निरंतर कम हो रही है तथा संयंत्र में कर्मचारियों की मृत्यु दर लगभग **50** (पचास) प्रति वर्ष देखा गया है , साथ ही **कोविड – 19** के वजह से संयंत्र में मृत्यु दर के अचानक बढ़ कर **90** (नब्बे) हो जाने के वजह से समिति द्वारा प्रत्येक मृत्यु के मामले में **रू 3,00,000/-** (तीन लाख रूपए मात्र) प्रदान करना संभव नहीं है। इस कारण समिति में सहायता राशि की कमी को देखते हुए **समिति** के द्वारा सदस्यता अंशदान को बढ़ाने का विचार किया गया है।

उपरोक्त के संदर्भ में वर्तमान में कर्मचारियों की गणना को ध्यान में रखते हुए **कर्मचारी परिवार हितकारी समिति** के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि मासिक सदस्यता अंशदान **रू 50/-(पचास रूपए मात्र)** से बढाकर **रू 100/-(सौ रूपए मात्र)** किया जाय एवं साथ ही **रू 10/-(दस रूपए मात्र)** प्रति मृत्यु दर के हिसाब से भी अतिरिक्त अंशदान लिया जाय। संयंत्र के कर्मचारियों के मृत्यु की संख्या का आकलन प्रत्येक माह **कार्मिक - अ० नि० प्र०** द्वारा निर्गत **नॉट ऑन रॉल (NOR)** सूची में वर्णित मृत कर्मचारियों की संख्या के आधार पर किया जायेगा। इस संबंध में सक्षम पदाधिकारी का भी अनुमोदन प्राप्त किया जा चुका है। इस राशि की कटौती **दिसंबर 2021** के वेतन पर्ची के माध्यम से की जाएगी।

अतः **दिसंबर 2021** से कर्मचारी परिवार हितकारी समिति के अंतर्गत लाभ एवं मासिक सदस्यता अंशदान राशि निम्नानुसार होगी ः

लाभ	**मासिक सदस्यता अंशदान**
रू 3,00,000/- (तीन लाख रूपए मात्र)	**रू 100/- (प्रति माह) + रू 10/- (प्रति मृत्यु) (कार्मिक – अ० नि० प्र० द्वारा निर्गत NOR सूची के अनुसार मृत कर्मचारियों की संख्या)**

Priyaadarshinni
14.12.21
सचिव

कर्मचारी परिवार हितकारी समिति